न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :— 75/2021

प्रार्थी

मसराराम उर्फ मिसरिया पुत्र डूंगराराम जाति रावणा राजपूत निवासी उमसर गोलिया तहसील सिवाना

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. गणपतलाल पुत्र नैनाराम जाति जाति रावणा राजपूत निवासी उमसर गोलिया तहसील सिवाना
2. भंवरसिंह पुत्र बुदिया जाति जाति रावणा राजपूत निवासी उमसर गोलिया तहसील सिवाना
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :—

1. श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 02.07.21

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की राजस्व गांव उमसर पटवार हल्का गोलिया तहसील सिवाना में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खातेदारी कि संयुक्त खेत खसरा संख्या 449,450,897/448, रकबा क्रमशः 1.7239,1.6915 व 1.9919 0 हैक्टयर भूमि आई हुई है उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के पिता स्व. डूंगराराम के नाम दर्ज थी । प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त भूमि पर डूंगराराम के वारिस के नाम फौतदगी नामान्तरकरण हल्का पटवारी को भरते समय हल्का पटवारी द्वारा सहवन् से प्रार्थी का नाम घर पर बोले जाने वाले नाम के आधार पर मसराराम का नाम मिस[illegible] दिया गया जबकि मसराराम लिखना था समस्त [illegible] दस्तावेज[illegible] प्रार्थी का नाम मसराराम अंकित है परन्तु राजस्व रेकर्ड [illegible] त्रुटि होने के कारण [illegible] को बैंक से ऋण इत्यादि लेने में भारी परेशानी का सामना करना पडता है जिस हेतु दुरूस्ती बाबत उक्त अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.08.11 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का बयान कलमबंद्व कर शामिल मिसल की गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई । दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा माफिक इस्तदुआ वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी का नाम मिसरिया के स्थान पर मसराराम किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड,आधार कार्ड भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिवाना द्वारा जारी बैंक की पासबुक, में प्रार्थी का नाम मसराराम पुत्र डूंगरराम अंकित है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा भी प्रार्थी का नाम शुद्व किये जाने बाबत सहमति जाहिर की हैं अतः उक्त अशुद्ध प्रविश्टि को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ऊमसर पटवार क्षेत्र गोलिया भू.अ.नि. क्षेत्र सिवाना तहसील सिवाना के खेत खेत खसरा संख्या 449,450,897/448, रकबा क्रमशः 1.7239,1.6915 व 1.9911 हैक्टयर भूमि अशुद्ध नाम " मिसरिया" के स्थान पर "मसराराम" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्वि कर पालना प्रस्तुत करे ।

आदेश आज दिनांक 02.07.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.08.11 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना